संख्या-5/57/अड़तीस-5-14-27 बजट/12(ए)

प्रेषक,

दिनेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 16 जनवरी,2014

विषयः वित्तीय वर्ष 2013-14में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु रू0 1552487.00 (रूपये एक अरब पचपन करोड़ चैबीस लाख सतासी हजार मात्र) की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के विभिन्न घटकों हेतु मात्राकृत धनराशि का विवरण निम्नवत हैः-

क्रमांक	मद	धनराशि (रूपये हजार में)
1	ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण कार्य (कवरेज)	889841.00
2	गुणता प्रभावित कार्यक्रम	378655.00
3	संचालन एवं अनुरक्षण	283991.00
4	जल गुणवत्ता इकाई (बेक्टीरियोलाजिकल)	0.00
5	जल गुणवत्ता इकाई (कैमिकल)	0.00
	योग	1552487.00

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013,दिनांक 28.03.2013 द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कोषागार से आहरित कर भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रोगाम एकाउन्ट में जमा की जायेगी।

(4)धनराशि एस0एल0एस0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष अवमुक्त की जायेगी।

(5)पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि में से65प्रतिशत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, 17.5 प्रतिशत महाप्रबन्धक, झांसी डिवीजन, जल संस्थान झांसी एवं 17.5प्रतिशत महाप्रबन्धक, जल संस्थान चित्रकूटधाम मण्डल बांदा को उपलब्ध करायी जायेगी।

(6)संचालन एवं अनुरक्षण मद में स्वीकृत धनराशि ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण एवं रखरखाव पर ही व्यय की जायेगी तथा ऐसी किसी भी ग्रामीण पेयजल योजना जिसके अनुरक्षण का दायित्व ग्राम पंचायत का है पर कदापि व्यय न की जाय।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि केवल ग्रामीण पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु है एवं इसमें किसी भी प्रकार का कोई सेन्टेज सम्मिलित नहीं है।

2- शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्तानुसार प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के " अनुदान संख्या-13के लेखाशीर्षक-4215, जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति-01-केन्द्रीय

http://shasanadesh.up.nic.in

आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं (एन.आर.डी.डब्लू.पी.) (के.50/रा.50-रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28मार्च,2013 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
दिनेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव।

संख्याः 57(1)/अडतीस-5-14, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
2. महालेखाकार,(लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
3.आयुक्त, ग्राम्य विकास,जवाहर भवन,लखनऊ।
4.समस्त मण्डलायुक्त /जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5.निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन,लखनऊ।
6.प्रबन्ध निदेशक,उत्तर प्रदेश जल निगम,लखनऊ।
7.प्रबन्ध निदेशक,यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8.मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9.महाप्रबन्धक, जल संस्थान, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा ।
10.महाप्रबन्धक, झांसी डिवीजन जल संस्थान झांसी।
11.नियोजन अनुभाग-4/ ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
12.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
13.गार्ड बुक।

आज्ञा से,
दिनेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in